बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक— 03/नि0 प्रशि (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024 (02) /पटना, दिनांक— ....

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :— **सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू0 3,99,48,939/— (तीन करोड़ निन्यानवें लाख अड़तालीस हजार नौ सौ उनचालीस रूपये) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले निम्न अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल अनुमानित रू0 3,99,48,939/— (तीन करोड़ निन्यानवें लाख अड़तालीस हजार नौ सौ उनचालीस रूपये) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

संस्थान का नाम	बैचों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सेवा संवर्ग/ पदनाम	प्रशिक्षण अवधि	अनुमानित व्यय
(A) IIM Indore	01	30	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग/ बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग	02 सप्ताह	63,72,000/—
(B) LINAC, Gurugram	04	80		01 सप्ताह	39,64,884/—
(C) BIRD, Lucknow	04	120		01 सप्ताह	21,24,000/—
(D) LINAC, Gurugram	15	300	मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	01 सप्ताह	1,48,68,315/—
(E)VAMNICOM, Pune	10	300		01 सप्ताह	90,00,000/—
(F) DNSRICM, Patna	15	900	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	03 दिन	25,25,400/—
(G) DNSRICM, Patna	13	390	अंकेक्षक	03 दिन	10,94,340/—
				कुल—	3,99,48,939/—

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष–20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष–03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड–09–2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रशिक्षण के उपरांत संस्थान से प्राप्त विपत्र के आधार पर निकासी एवं भुगतान किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त विपत्र के विरूद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित की जाये।

8. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–06.06.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में उक्त योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है।

9. योजना प्रस्ताव पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि0 प्रशि (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024 (02) के पृष्ठ 34/टि० पर दिनांक–06.06.2025 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–03/नि0 प्रशि (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024 (02) के पृष्ठ 34/टि० पर दिनांक–06.06.2025 को प्राप्त है।

11. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–03/नि0 प्रशि (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024 (02) के पृष्ठ 34/टि० पर दिनांक–06.06.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 146 / पटना, दिनांक 06/06/2025
03 / नि0 प्रशि (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27 / 2024 (02)

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) / निदेशक, IIM Indore/ निबंधक, VAMNICOM, Pune / महानिदेशक, LINAC, Gurugram / निदेशक, DNSRICM, Patna एवं निदेशक, BIRD, Lucknow को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आशुलिपिक / निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा–03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना / आई०टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आंवटित की जाय।

06-06-2025

06.06.25
सरकार के अपर सचिव।

(10)